भारत सरकाररसायन और उर्वरक मंत्रालय

उर्वरक विभाग

**राज्‍य सभा** तारांकित प्रश्‍न संख्‍या 143\*

जिसका उत्‍तर शुक्रवार, 16 अगस्‍त 2013/25 श्रावण, 1935 (शक) को दिया जाना है।

**यूरिया की मांग**

**\*143. श्री भुवनेश्‍वर कालिता:**

क्‍या रसायन और उर्वरक मंत्री य‍ह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्‍या यह सच है कि देश में यूरिया की मांग लगभग 336.77 लाख मीट्रिक टन है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस मांग को पूरा किए जाने हेतु क्‍या-क्‍या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने की संभावना है तथा असम राज्‍य द्वारा यूरिया की, की गई मांग का ब्‍यौरा क्‍या है?

**उत्‍तर**

**रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार) तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्‍वयन मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार) (श्री श्रीकांत कुमार जेना)**

**(क) और (ख):** एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

\*\*\*\*

**-2-**

**‘’यूरिया की मांग’’ के संबंध में दिनांक 16.08.2013 को उत्‍तर दिए जाने वाले राज्‍य सभा तारांकित प्रश्‍न सं.143 के उत्‍तर में उल्‍लिखित विवरण**

**(क):** वर्ष 2012-13 के लिए खरीफ और रबी मौसम हेतु यूरिया की मौसम-वार मांग क्रमश: 150.82 लाख मी.टन और 164.60 लाख मी.टन थी। खरीफ 2013 के लिए कृषि और सहकारिता विभाग (डीएसी) द्वारा किए गए आकलन के अनुसार मांग 152.89 लाख मी.टन है।

**(ख):** सरकार द्वारा असम राज्‍य सहित, राज्‍यों की यूरिया की मांग को पूरा करने के लिए निम्‍नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं:-

कृषि और सहकारिता विभाग (डीएसी) द्वारा राज्‍य सरकारों के परामर्श से प्रत्‍येक फसल मौसम के शुरू होने से पहले मासिक आधार पर प्रत्‍येक राज्‍य की उर्वरक की मांग का मूल्‍यांकन किया जाता है।

 इसके आधार पर उर्वरक विभाग राज्‍यों को स्‍वदेशी उत्‍पादन और आयात, दोनों, के जरिए राज्‍यों को उर्वरकों की अपेक्षित मात्रा का आबंटन करता है ताकि यह सुनिश्‍चित हो सके कि कोई कमी न हो, जिसकी वेब आधारित निगरानी प्रणाली अर्थात् उर्वरक निगरानी प्रणाली (एफएमएस) द्वारा लगातार निगरानी की जाती है।

राज्‍य सरकारें अपने राज्‍य सांस्‍थानिक अभिकरणों, जैसे मार्कफेड इत्‍यादि, के माध्‍यम से रेलवे रैक की यथा-समय मांग प्रस्‍तुत करके आपूर्ति को बेहतर बनाने के लिए उर्वरक उत्‍पादकों और आयातकर्ताओं के साथ भी नियमित रूप से समन्‍वय करती हैं।

उर्वरक विभाग (डीओएफ), कृषि एवं सहकारिता विभाग (डीएसी), तथा रेल मंत्रालय द्वारा राज्‍य कृषि अधिकारियों के साथ संयुक्‍त रूप से नियमित साप्‍ताहिक वीडियो कांफ्रेंस की जाती है और राज्‍य सरकारों द्वारा बताये गए अनुसार उर्वरकों के प्रेषण में उपचारी कार्रवाई की जाती है।

\*\*\*\*\*

भारत सरकाररसायन और उर्वरक मंत्रालय

उर्वरक विभाग

**राज्‍य सभा** अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 1118

जिसका उत्‍तर शुक्रवार, 16 अगस्‍त 2013/25 श्रावण, 1935 (शक) को दिया जाना है।

**नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड की इकाइयों को एपीएम गैस की अनुपलब्‍धता**

**1118. श्री तपन कुमार सेन:**

क्‍या रसायन और उर्वरक मंत्री य‍ह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्‍या यह सच है कि नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड द्वारा हाल ही में ही एफओ/नाफ्था से संचालित होने वाली तीन इकाइयों को प्राकृतिक गैस से संचालित इकाइयों में बदले जाने के उपरांत एपीएम आधारित गैस की अनुपलब्‍धता के कारण उन्‍हें द्रवीकृत प्राकृतिक गैस से चलाये जाने पर विवश होना पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो वहां उपलब्‍ध द्रवीकृत प्राकृतिक गैस के प्रति मिलियन बीटीयू के लिए कंपनी को कितनी कीमत देनी पड़ती है;

(ग) क्‍या यह सच है कि उनके संयंत्रों की अनुमानित व्‍यवहार्यता सुपुर्द की गई गैस की लगभग 8 डालर प्रति एमएमबीटीयू है;

(घ) यदि हां, तो क्‍या वहां उपलब्‍ध द्रवीकृत प्राकृतिक गैस की सुपुर्दगी कीमत पर संयंत्र का संचालन व्‍यवहार्य है; और

(ड.) यदि नहीं, तो संयंत्रों को घाटे में चलाने के क्‍या कारण हैं?

**उत्‍तर**

**रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार) तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्‍वयन मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार) (श्री श्रीकांत कुमार जेना)**

**(क):** एनएफएल ने नांगल, बठिंडा और पानीपत स्थित ईधंन तेल आधारित अपनी तीन इकाइयों को प्राकृतिक गैस आधारित इकाइयों में परिवर्तित किया है। पानीपत और बठिडां इकाइयां जनवरी 2013 में और नांगला इकाई अप्रैल 2013 में शुरू हुई। इन परियोजनाओं के लिए घरेलू गैस के आवंटन के अभाव में नांगल और बठिडां में गैस की आवश्‍यकता के लिए मैसर्स गेल के साथ और पानीपत में गैस की आवश्‍यकता के लिए मैसर्स आईओसीएल के साथ हाजिर गैस का अनुबंध किया गया है।

**(ख):** तीनों परिवर्तित इकाइयों में सुपुर्दगी आधार पर हाजिर गैस का वर्तमान मूल्‍य 19-22/अमेरिकी डॉलर/एमएमबीटीयू के बीच है।

**-2-**

**(ग):** कंपनी की ईंधन तेल आधारित तीनों इकाइयों को गैस में परिवर्तित करने की परियोजना व्‍यवहार्यता को भारत सरकार द्वारा 8 अमेरिकी डालर/एमएमबीटीयू के गैस सुपुर्दगी मूल्‍य और लगभग 14.5 अमेरिकी डॉलर/एमएमबीटीयू के ईंधन तेल/एलएसएचएस मूल्‍य को ध्‍यान में रखते हुए अनुमोदित किया गया था।

**(घ):** ईंधन तेल/एलएसएचएस से गैस में परिवर्तन के बाद संयंत्रों को हाजिर गैस के वर्तमान सुपुर्दगी मूल्‍य पर चलाना व्‍यवहार्य नहीं है क्‍योंकि ईंधन तेल/एलएसएचएस और सुपुर्दगी गैस के बीच 6.5 अमेरिकी डॉलर/एमएमबीटीयू (14.8 अमेरिकी डॉलर-8/एमएमबीटीयू) के मूल्‍य अंतर के कारण सरकार को होने वाली अनुमानित ऊर्जा बचत प्राप्‍य नहीं है। इस समय हाजिर गैस मूल्‍य (19.22 अमेरिकी डॉलर/एमएमबीटीयू) और वर्तमान में ईंधन तेल/एलएसएचएस मूल्‍य (22-23 अमेरिकी डॉलर/एमएमबीटीयू का सुपुर्दगी मूल्‍य) के बीच अन्‍तर लागत 6.5 अमेरिकी डॉलर/एमएमबीटीयू के अभिकल्पित मूल्‍य अंतर की तुलना में केवल 1-2 अमेरिकी डॉलर/एमएमबीटीयू का है।

**(ड़):** यूरिया की मूल्‍य निर्धारण नीति के अंतर्गत गैस की लागत की भरपाई की जाती है इसलिए गैस में परिवर्तित ईंधन तेल इकाइयों के प्रचालनों पर हाजिर गैस का प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। तथापि, हाजिर गैस के अधिक मूल्‍य के कारण राजसहायता में अनुमानित बचत होनी शुरू नहीं हुई। राजसहायता में बचत होनी तब शुरू होगी जब गैस में परिवर्तित इन ईंधन तेल आधारित इकाइयों को घरेलू गैस का आवंटन हो जाएगा।

\*\*\*\*

भारत सरकाररसायन और उर्वरक मंत्रालय

उर्वरक विभाग

**राज्‍य सभा** अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 1119

जिसका उत्‍तर शुक्रवार, 16 अगस्‍त 2013/25 श्रावण, 1935 (शक) को दिया जाना है।

**उर्वरकों की बढ़ती कीमतें**

**1119. श्री बलविंदर सिंह भुंडर:**

क्‍या रसायन और उर्वरक मंत्री य‍ह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्‍या देश में किसान उर्वरकों की बढ़ती कीमतें और बुवाई के समय उनकी अनुपलब्‍धता के कारण कठिनाईयों का सामना कर रहे हैं और इसकी शिकायत कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो उर्वरकों की कीमतों के बढ़ने और उसकी अनुपलब्‍धता के क्‍या कारण हैं; और

(ग) देश में किसानों को उर्वरक उपलब्‍ध कराने और इनकी कीमतों को नियंत्रित करने के लिए क्‍या उपाय किए जा रहे हैं?

**उत्‍तर**

**रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार) तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्‍वयन मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार) (श्री श्रीकांत कुमार जेना)**

**(क) और (ख):** यूरिया के अधिकतम खुदरा मूल्‍य (एमआरपी) में 1.11.2012 से 50 रु. प्रति टन की मामूली वृद्धि की गई थी। यूरिया का एमआरपी 1.4.2012 से 5310 रु. प्रति टन नियत किया गया था।

फास्‍फेटयुक्‍त और पोटाशयुक्‍त (पीएंडके) उर्वरकों के लिए सरकार 1.4.2010 से पोषक तत्‍व आधारित राजसहायता (एनबीएस) नीति का कार्यान्‍वयन कर रही है, जिसके अंतर्गत राजसहायताप्राप्‍त पीएंडके उर्वरकों के प्रत्‍येक ग्रेड पर, उनमें निहित पोषक तत्‍व के आधार पर, राजसहायता की एक निश्चित राशि उपलब्‍ध कराई जाती है, जिसका निर्णय वार्षिक आधार पर लिया जाता है। इस नीति के अंतर्गत उर्वरक कंपनियों को पीएंडके उर्वरकों की एमआरपी युक्तिसंगत स्‍तर पर नियत करने की अनुमति दी गई है।

 देश तैयार उत्‍पादों अथवा इनकी कच्‍ची सामग्री के लिए पोटाश क्षेत्र में संपूर्ण रूप से और फास्‍फेट क्षेत्र में 90% की सीमा तक आयात पर निर्भर है। राजसहायता नियत होने के कारण, अंतर्राष्‍ट्रीय मूल्‍यों में किसी प्रकार के उतार-चढ़ाव का पीएंडके उर्वरकों के घरेलू मूल्‍यों पर प्रभाव पड़ता है।

पीएण्‍डके उर्वरकों के मूल्‍यों में पिछले 3 वर्षों के दौरान मुख्‍यत: उर्वरकों के अंतर्राष्‍ट्रीय मूल्‍यों में वृद्धि होने और अमेरिकी डॉलर की तुलना में भारतीय रुपए के अवमूल्‍यन के कारण वृद्धि हुई है। तथापि, देश भर में उर्वरकों की पर्याप्‍त उपलब्‍धता है। पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2013-14 में पीएण्‍डके उर्वरकों के मूल्‍यों में उर्वरक कंपनियों द्वारा कुछ कमी की गई है।

-2-

**(ग):** उर्वरकों की लागत को नियंत्रण में रखने और देश में किसानों को उर्वरक उपलब्‍ध कराने के लिए निम्‍नलिखित उपाय किए गए हैं:

i. वर्ष 2013-14 के दौरान पीएण्‍डके उर्वरकों के अंतर्राष्‍ट्रीय मूल्‍यों में नरमी आने के बाद उर्वरक कंपनियों को इन उर्वरकों के मूल्‍य कम करने के लिए कहा गया है।

ii. 2013-14 के लिए राजसहायता दरों की घोषणा करते समय सरकार ने इन उर्वरकों के मूल्‍यों में न्‍यूनतम कमी को भी अधिसूचित किया है।

iii. प्रत्‍येक फसल मौसम के शुरू होने से पहले कृषि एवं सहकारिता विभाग (डीएसी) द्वारा राज्‍य सरकारों के साथ परामर्श से माह-वार मांग का आकलन और अनुमान लगाया जाता है।

iV. कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा दिए गए माह-वार और राज्‍य वार आकलन के आधार पर उर्वरक विभाग मासिक आपूर्ति योजना जारी करके राज्‍यों को पर्याप्‍त मात्रा में उर्वरक आंवटित करता है और ऑनलाइन वेब आधारित निगरानी प्रणाली, उर्वरक निगरानी प्रणाली (एफएमएस) के जरिए उपलब्‍धता की निरंतर निगरानी करता है तथा उर्वरक उत्‍पादकों व आयातकों को निरंतर सलाह देता है कि वे अपनी संस्‍थागत एजेसियों जैसे मार्कफेड आदि के माध्‍यम से रेल रैकों हेतु समय पर मांगपत्र देकर आपूर्तियों को सुप्रवाही बनाने के लिए समन्‍वय कार्य करें।

V. कृषि एवं सहकारिता विभाग (डीएसी), उर्वरक विभाग (डीओएफ) और रेल मंत्रालय द्वारा संयुक्‍त रूप से राज्‍य कृषि अधिकारियों के साथ नियमित साप्‍ताहिक विडियो कांफ्रेंस आयोजित की जाती है तथा राज्‍य सरकारों द्वारा बताए गए अनुसार उर्वरक प्रेषण हेतु सुधारात्‍मक कार्रवाई की जाती है।

Vi. उर्वरक की मांग और घरेलू उत्‍पादन के बीच अंतर को आयात के जरिए पूरा किया जाता है।

 \*\*\*\*\*\*\*\*\*

भारत सरकाररसायन और उर्वरक मंत्रालय

उर्वरक विभाग

**राज्‍य सभा** अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 1120

जिसका उत्‍तर शुक्रवार, 16 अगस्‍त 2013/25 श्रावण, 1935 (शक) को दिया जाना है।

**यूरिया के उत्‍पादन में वृद्धि**

**1120. श्री भरतसिंह प्रभातसिंह परमार: श्री मनसुख एल. मांडविया: श्री पुरूषोतम खोडाभाई रूपाला:**

क्‍या रसायन और उर्वरक मंत्री य‍ह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) यूरिया के उत्‍पादन में भारी वृद्धि करने के लिए आज की स्थिति के अनुसार गुजरात के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और सहकारी यूरिया उत्‍पादन इकाइयों की ओर से कितने प्रस्‍ताव प्राप्‍त हुए हैं;

(ख) इन प्रस्‍तावों पर केन्‍द्रीय सरकार द्वारा क्‍या कार्रवाई की गई है; और

(ग) सरकार इन इकाइयों को कब तक स्‍वीकृति देने का इरादा रखती है?

**उत्‍तर**

**रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार) तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्‍वयन मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार) (श्री श्रीकांत कुमार जेना)**

**(क):** गुजरात के राज्‍य पीएसयू, सहकारी समितियों तथा राज्‍य-संयुक्‍त उद्यम जैसी यूरिया उत्‍पादक इकाइयों से प्राप्‍त सभी निवेश प्रस्‍तावो का ब्‍यौरा संलग्‍न हैं।

**(ख) और (ग):** नई निवेश नीति-2012 पहले से अधिसूचित है तथापि, कुछ संशोधनों पर विचार किया जा रहा है।

\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**-2-**

**अनुलग्‍नक**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **क्र.सं.** | **इकाइयां** | **राज्‍य** | **स्‍वामित्‍व** |
| 1.  | इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (इफ्को)- कलोल-II | गुजरात | सहकारी समिति |
| 2.  | कृषक भारती को-ओपरेटिव लिमिटेड (कृभको) हजीरा-II | गुजरात | सहकारी समिति |
| 3.  | गुजरात स्‍टेट फर्टिलाइजर्स को-ओपरेटिव लिमिटेड (जीएसएफसी) | गुजरात | राज्‍य पीएसयू |
| 4.  | गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स को-ओपरेटिव लिमिटेड (जीएनएफसी) | गुजरात | राज्‍य संयुक्‍त उद्यम  |

भारत सरकाररसायन और उर्वरक मंत्रालय

उर्वरक विभाग

**राज्‍य सभा** अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 1122

जिसका उत्‍तर शुक्रवार, 16 अगस्‍त 2013/25 श्रावण, 1935 (शक) को दिया जाना है।

**बंद पड़े यूरिया संयंत्रों को फिर से चालू करना**

**1122. श्री राम कृपाल यादव:**

क्‍या रसायन और उर्वरक मंत्री य‍ह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्‍या यह सच है कि देश में सात यूरिया संयंत्रों में उत्‍पादन कार्य बंद पड़ा है;

(ख) क्‍या सरकार की इन यूरिया संयंत्रों को प्राकृतिक गैस/द्रवीकृत प्राकृतिक गैस से संचालित करते हुए इन्‍हें फिर से चालू करने की कोई योजना है;

(ग) यदि हां, तो क्‍या इन सात इकाइयों में इस कार्य को पूरा करने और इन्‍हें पूर्णत: संचालित करने के लिए कोई समय-सीमा तय की गई है; और

(घ) प्रत्‍येक संयंत्र को दुबारा चालू करने के लिए अपेक्षित बजट का संयंत्र-वार ब्‍यौरा क्‍या है?

**उत्‍तर**

**रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार) तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्‍वयन मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार) (श्री श्रीकांत कुमार जेना)**

**(क) से (घ):** जी हां। वर्तमान में, फर्टिलाइजर्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की पांच इकाइयां नामत: रामागुण्‍डम, सिंदरी, तलचर, गोरखपुर और कोरबा (परियोजना स्‍थल) तथा हिन्‍दुस्‍तान फर्टिलाइजर्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तीन इकाइयां नामत: दुर्गापुर, हल्दिया और बरौनी बंद हैं। सरकार द्वारा इन यूरिया इकाइयों के फीटस्‍टॉक को प्राकृतिक गैस या कोयला फीडस्‍टॉक में परिवर्तित करके सार्वजनिक/निजी क्षेत्र द्वारा पुनरुद्धार करने की योजना है। अभी तक इसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। तथापि, सामान्‍यतया किसी यूरिया संयंत्र को इसकी शून्‍य तारीख से पूरी तरह प्रचालानात्‍मक बनाने के लिए लगभग तीन वर्ष का समय लगता है। प्रत्‍येक संयंत्र का अनुमानित व्‍यय स्‍थान, प्रौद्योगिकी, फीडस्‍टॉक आदि के आधार पर भिन्‍न-भिन्‍न होगा।

\*\*\*\*

भारत सरकाररसायन और उर्वरक मंत्रालय

उर्वरक विभाग

**राज्‍य सभा** अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 1123

जिसका उत्‍तर शुक्रवार, 16 अगस्‍त 2013/25 श्रावण, 1935 (शक) को दिया जाना है।

**यूरिया का आयात**

**1123. श्री राम कृपाल यादव:**

क्‍या रसायन और उर्वरक मंत्री य‍ह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्‍या सरकार ने वर्ष 2009-10 में 5.21 मिलियन टन, 2010-11 में 5.67 और 2011-12 में 7.89 मिलियन टन यूरिया का आयात किया है;

(ख) वर्ष 2012-13 के दौरान कितनी मात्रा में यूरिया का आयात किया गया है और इस पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च हुई;

(ग) क्‍या यह सच है कि जब भारत अंतर्राष्‍ट्रीय बाजार में यूरिया खरीदने के लिए जाता है, तो भारी मांग के कारण कीमतों में तीव्र वृद्धि होती है;

(घ) यदि हां, तो निकट भविष्‍य में यूरिया के आयात को घटाने के लिए सरकार द्वारा क्‍या कदम उठाए गए है; और

(ड.) तत्‍संबंधी ब्‍यौरा क्‍या है?

**उत्‍तर**

**रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार) तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्‍वयन मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार) (श्री श्रीकांत कुमार जेना)**

**(क):** वर्ष 2009-10 से 2011-12 के दौरान सरकार द्वारा आयात किए गए यूरिया का ब्‍योरा नीचे दिया गया है:-

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **क्र.सं** | **वर्ष** | **आयातित यूरिया की मात्रा (मिलियन मी.टन में)** |
| 1 | 2009-10 | 5.21 |
| 2 | 2010-11 | 6.61 |
| 3 | 2011-12 | 7.83 |

**(ख):** वर्ष 2012-13 के दौरान सरकार द्वारा आयात किए गए यूरिया की मात्रा तथा इसका लागत एवं भाड़ा मूल्‍य निम्‍न प्रकार है:-

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **वर्ष** | **यूरिया की मात्रा (लाख मी.टन)** | **मूल्‍य (मिलियन अमेरिकी डॉलर)** |
|  | **ओमान से** | **एसटीई के माध्‍यम से** | **योग** |
| 2012-13 | 18.33 | 62.11 | 80.44 | 2936.97 |

-2-

**(ग) से (ड.):** जी नहीं, यूरिया का मूल्‍य अंतर्राष्‍ट्रीय बाजार में यूरिया की उपलब्‍धता के आधार पर मांग और आपूर्ति के जरिए निर्धारित किया जाता हैं। पिछले 2 वर्षों क दौरान यह देखा गया है कि भारत ने प्रचलित अंतर्राष्‍ट्रीय बाजार की तुलना में काफी कम मूल्‍य पर यूरिया खरीदा है। तथापि, सरकार आत्‍म-निर्भरता प्राप्‍त करने के लिए देश में उर्वरकों के उत्‍पादन को हमेशा से प्रोत्‍साहन देती रही है।

\*\*\*\*\*\*\*\*\*

भारत सरकाररसायन और उर्वरक मंत्रालय

उर्वरक विभाग

**राज्‍य सभा** अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 1124

जिसका उत्‍तर शुक्रवार, 16 अगस्‍त 2013/25 श्रावण, 1935 (शक) को दिया जाना है।

**रामगुंडम में एफसीआई की इकाई को पुन: चालू किया जाना**

**1124. श्री वाई.एस. चौधरी:**

क्‍या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्‍या सरकार आंध्र प्रदेश के रामगुंडम स्थित दी फर्टिलाइजर कोर्पोरेशन ऑफ इंडिया की इकाई को पुन: चालू करने पर विचार कर र‍ही है;

(ख) यदि हां, तो इसकी क्‍या स्थिति है;

(ग) क्‍या रामगुंडम स्थित उर्वरक कारखाने के पुन:चालू करने से वर्तमान उर्वरक उत्‍पादन क्षमता को बढ़ाने में मदद मिलेगी; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा आज की तिथि के अनुसार क्‍या कार्रवाई की गई है?

**उत्‍तर**

**रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार) तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्‍वयन मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार) (श्री श्रीकांत कुमार जेना)**

**(क) से (घ):** जी हां। आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) ने रामगुंडम उर्वरक संयंत्र समेत एफसीआईएल की सभी इकाइयों के पुनरुद्धार के लिए अगस्‍त 2011 में प्रारूप पुनर्वास योजना (डीआरएस) अनुमोदित की है। डीआरएस में मैसर्स इंजीनियर्स इण्डिया लिमिटेड (ईआईएल) एवं मैसर्स नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड (एनएफएल) द्वारा रामगुंडम इकाई के पुनरुद्धार का उल्‍लेख है। हाल ही में, सीसीईए ने 9.5.2013 को आयोजित अपनी बैठक में अन्‍य बातों के साथ-साथ फर्टिलाइजर कॉरर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड (एफसीआईएल) को भारत सरकार द्वारा दिए गए ऋण एवं ब्‍याज की माफी का अनुमोदन किया है ताकि एफसीआईएल सकारात्‍मक निवल मूल्‍य प्राप्‍त कर सके। इससे एफसीआईएल औद्योगिक एवं वित्‍तीय पुनर्सरंचना बोर्ड (बीआईएफआर) के अधिकार क्षेत्र से बाहर निकल पाया। सरकार अन्‍य अनुमत औद्योगिक कार्यकलापों के अलावा रामगुंडम समेत एफसीआईएल की प्रत्‍येक बंद इकाई पर न्‍यूनतम 1.15 मिलियन टन प्रतिवर्ष के यूरिया संयंत्र की स्‍थापना के जरिए खाली पड़ी भूमि एवं परिसम्‍पत्तियों के लाभकारी उपयोग पर विचार कर रही है।

 \*\*\*\*\*\*\*\*\*

भारत सरकाररसायन और उर्वरक मंत्रालय

उर्वरक विभाग

**राज्‍य सभा** अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 1127

जिसका उत्‍तर शुक्रवार, 16 अगस्‍त 2013/25 श्रावण, 1935 (शक) को दिया जाना है।

**यूरिया की मांग और आपूर्ति**

**1127. श्री पलवई गोवर्धन रेड्डी**:

क्‍या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दस वर्षों के दौरान यूरिया की मांग का वर्ष-वार और राज्‍य-वार ब्‍यौरा क्‍या है;

(ख) क्‍या प्रत्‍येक वर्ष किसानों के लिए यूरिया की आपूर्ति में कमी रहती है;

(ग) यदि हां, तो तत्‍संबंधी ब्‍यौरा क्‍या है; और

(घ) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्‍या प्रयास किए जा रहे हैं कि किसानों को यूरिया की अपेक्षित मात्रा की समय पर आपूर्ति की जा सके?

**उत्‍तर**

**रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार) तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्‍वयन मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार) (श्री श्रीकांत कुमार जेना)**

**(क) से (ग):** पिछले दस वर्षों के दौरान देश में यूरिया की वर्ष-वार एवं राज्‍य-वार मांग दर्शाने वाला विवरण **अनुलग्‍नक** में दिया गया है। जैसा कि अनुलग्‍नक से देखा जा सकता है, पिछले वर्षों में यूरिया की उपलब्‍धता पर्याप्‍त एवं सुविधाजनक रही है।

**(घ):** सरकार किसानों को समय पर यूरिया की आवश्‍यक मात्रा की आपूर्ति सुनिश्‍चित करने के लिए निम्‍नलिखित उपाय (प्रयास) कर रही है:-

(1) कृषि और सहकारिता विभाग (डीएसी) द्वारा राज्‍य सरकारों के परामर्श से प्रत्‍येक फसल मौसम के शुरू होने से पहले मासिक आधार पर उर्वरक की मांग का आकलन एवं अनुमान लगाया जाता है।

 (2) कृषि और सहकारिता विभाग द्वारा प्रस्‍तुत किये गये माह-वार और राज्‍य-वार अनुमान के आधार पर उर्वरक विभाग मासिक आपूर्ति योजना जारी करके राज्‍यों को उर्वरकों की उचित/पर्याप्‍त मात्रा आबंटित करता है और निम्‍नलिखित प्रणाली के माध्‍यम से लगातार निगरानी रखता है:

-2-

(i) सभी प्रमुख राजसहायता प्राप्‍त उर्वरकों के संचलन की निगरानी एक ऑनलाइन वेब आधारित निगरानी प्रणाली (www.urvarak.co.in) द्वारा, जिसे उर्वरक निगरानी प्रणाली (एफएमएस) भी कहा जाता है, देश भर में की जा रही है।

(ii) राज्‍य सरकारों को अपने राज्‍य सांस्‍थानिक अभिकरणों, जैसे मार्कफेड इत्‍यादि, के माध्‍यम से रेलवे रैक की यथा-समय मांग प्रस्‍तुत करके आपूर्ति को बेहतर बनाने के लिए उर्वरक उत्‍पादकों और आयातकर्ताओं के साथ समन्‍वय करने की भी नियमित रूप से सलाह दी जाती है।

(iii) कृषि एवं सहकारिता विभाग (डीएसी), उर्वरक विभाग (डीओएफ), तथा रेल मंत्रालय द्वारा राज्‍य कृषि अधिकारियों के साथ संयुक्‍त रूप से नियमित साप्‍ताहिक वीडियो कांफ्रेंस की जाती है और राज्‍य सरकारों द्वारा बताये गए अनुसार उर्वरकों के प्रेषण में उपचारी कार्रवाई की जाती है।

(iv) उर्वरक की आवश्यकता और स्‍वदेशी उपलब्‍धता के बीच अंतर को आयात के जरिए पूरा किया जाता है।

\*\*\*\*\*

**अनुलग्‍नक**

|  |
| --- |
| **2004-05 से 2013-14 (जुलाई, 2013) के दौरान यूरिया की राज्‍य-वार आवश्‍यकता, उपलब्‍धता एवं बिक्री** |
| **राज्‍य का नाम** | **वर्ष** | **यूरिया** |
| **आवश्‍यकता** | **उपलब्‍धता** | **बिक्री** |
| **आंध्र प्रदेश** | 2004-05 | 19.50 | 18.55 | 17.46 |
| 2005-06 | 23.50 | 23.53 | 22.18 |
| 2006-07 | 27.00 | 24.52 | 22.13 |
| 2007-08 | 27.50 | 26.84 | 25.12 |
| 2008-09 | 27.50 | 27.84 | 27.33 |
| 2009-10 | 27.50 | 26.16 | 25.95 |
| 2010-11 | 28.50 | 31.73 | 31.30 |
| 2011-12 | 31.00 | 29.87 | 29.34 |
| 2012-13 | 32.50 | 29.39 | 28.51 |
| 2013-14 | 8.50 | 8.57 | 8.36 |
| **कर्नाटक** | 2004-05 | 9.40 | 9.74 | 9.27 |
| 2005-06 | 9.55 | 11.03 | 10.67 |
| 2006-07 | 11.20 | 11.55 | 10.92 |
| 2007-08 | 12.80 | 13.63 | 12.54 |
| 2008-09 | 13.50 | 12.88 | 12.82 |
| 2009-10 | 13.75 | 13.77 | 13.77 |
| 2010-11 | 14.00 | 14.28 | 14.28 |
| 2011-12 | 14.60 | 14.53 | 14.45 |
| 2012-13 | 15.00 | 14.64 | 14.46 |
| 2013-14 | 4.38 | 4.95 | 4.77 |
| **केरल** | 2004-05 | 1.33 | 1.13 | 1.10 |
| 2005-06 | 1.55 | 1.26 | 1.18 |
| 2006-07 | 1.46 | 1.33 | 1.27 |
| 2007-08 | 1.40 | 1.44 | 1.34 |
| 2008-09 | 1.48 | 1.68 | 1.63 |
| 2009-10 | 1.63 | 1.53 | 1.53 |
| 2010-11 | 1.90 | 1.44 | 1.44 |
| 2011-12 | 1.90 | 1.50 | 1.49 |
| 2012-13 | 2.05 | 1.60 | 1.36 |
| 2013-14 | 0.73 | 0.51 | 0.49 |
| **तमिलनाडु** | 2004-05 | 6.60 | 7.67 | 7.45 |
| 2005-06 | 9.50 | 9.06 | 8.78 |
| 2006-07 | 10.00 | 9.59 | 9.18 |
| 2007-08 | 9.85 | 9.68 | 9.16 |
| 2008-09 | 10.37 | 11.28 | 11.28 |
| 2009-10 | 11.50 | 9.98 | 9.98 |
| 2010-11 | 11.50 | 10.23 | 10.15 |
| 2011-12 | 11.50 | 10.47 | 10.45 |
| 2012-13 | 11.50 | 9.36 | 9.28 |
| 2013-14 | 2.75 | 2.24 | 2.24 |
| **गुजरात** | 2004-05 | 11.70 | 12.62 | 12.25 |
| 2005-06 | 12.50 | 13.81 | 13.26 |
| 2006-07 | 15.00 | 15.22 | 15.03 |
| 2007-08 | 17.25 | 18.37 | 17.93 |
| 2008-09 | 18.65 | 18.69 | 18.48 |
| 2009-10 | 18.75 | 18.21 | 18.12 |
| 2010-11 | 19.50 | 21.26 | 21.19 |
| 2011-12 | 22.75 | 21.26 | 21.18 |
| 2012-13 | 23.75 | 19.50 | 19.24 |
| 2013-14 | 7.45 | 6.47 | 6.23 |
| **मध्‍य प्रदेश** | 2004-05 | 11.35 | 11.05 | 10.34 |
| 2005-06 | 11.55 | 10.97 | 10.20 |
| 2006-07 | 12.10 | 13.89 | 13.16 |
| 2007-08 | 13.75 | 14.76 | 14.31 |
| 2008-09 | 15.75 | 13.83 | 13.59 |
| 2009-10 | 15.25 | 16.00 | 15.93 |
| 2010-11 | 16.75 | 17.05 | 16.92 |
| 2011-12 | 17.50 | 18.13 | 17.81 |
| 2012-13 | 18.50 | 19.48 | 18.91 |
| 2013-14 | 4.58 | 6.00 | 5.57 |
| **छत्‍तीसगढ़** | 2004-05 | 3.76 | 4.07 | 3.84 |
| 2005-06 | 4.70 | 4.67 | 4.45 |
| 2006-07 | 4.90 | 5.93 | 5.53 |
| 2007-08 | 5.90 | 6.17 | 5.87 |
| 2008-09 | 5.40 | 5.23 | 5.06 |
| 2009-10 | 5.48 | 5.27 | 5.27 |
| 2010-11 | 5.70 | 5.56 | 5.54 |
| 2011-12 | 6.25 | 6.20 | 6.20 |
| 2012-13 | 6.90 | 7.26 | 7.06 |
| 2013-14 | 3.50 | 3.66 | 3.56 |
| **महाराष्‍ट्र** | 2004-05 | 15.25 | 15.80 | 15.14 |
| 2005-06 | 16.75 | 18.19 | 17.21 |
| 2006-07 | 19.00 | 20.70 | 19.87 |
| 2007-08 | 21.20 | 23.05 | 21.39 |
| 2008-09 | 23.25 | 22.84 | 22.46 |
| 2009-10 | 24.75 | 22.87 | 22.87 |
| 2010-11 | 25.25 | 25.52 | 25.51 |
| 2011-12 | 27.50 | 25.67 | 25.43 |
| 2012-13 | 28.00 | 23.40 | 22.92 |
| 2013-14 | 10.33 | 11.22 | 10.64 |
| **राजस्‍थान** | 2004-05 | 11.50 | 10.40 | 10.16 |
| 2005-06 | 12.30 | 12.35 | 11.59 |
| 2006-07 | 13.20 | 12.80 | 12.26 |
| 2007-08 | 14.70 | 13.83 | 13.21 |
| 2008-09 | 15.10 | 13.21 | 12.97 |
| 2009-10 | 15.10 | 13.37 | 13.15 |
| 2010-11 | 15.60 | 15.73 | 15.70 |
| 2011-12 | 16.25 | 17.58 | 16.90 |
| 2012-13 | 17.25 | 18.91 | 18.46 |
| 2013-14 | 4.05 | 4.00 | 3.61 |
| **हरियाणा** | 2004-05 | 15.15 | 15.60 | 14.74 |
| 2005-06 | 16.00 | 18.00 | 16.44 |
| 2006-07 | 17.50 | 18.04 | 17.33 |
| 2007-08 | 18.75 | 19.30 | 18.47 |
| 2008-09 | 19.90 | 17.59 | 17.36 |
| 2009-10 | 19.65 | 18.05 | 17.95 |
| 2010-11 | 19.65 | 18.75 | 18.38 |
| 2011-12 | 19.75 | 19.19 | 18.88 |
| 2012-13 | 20.00 | 21.01 | 20.34 |
| 2013-14 | 6.60 | 6.41 | 5.88 |
| **पंजाब** | 2004-05 | 23.00 | 24.28 | 24.04 |
| 2005-06 | 24.70 | 24.55 | 23.72 |
| 2006-07 | 25.00 | 26.16 | 25.74 |
| 2007-08 | 25.00 | 26.97 | 24.46 |
| 2008-09 | 25.50 | 26.28 | 25.77 |
| 2009-10 | 25.50 | 24.65 | 24.46 |
| 2010-11 | 26.00 | 27.61 | 27.17 |
| 2011-12 | 26.00 | 28.32 | 28.07 |
| 2012-13 | 26.40 | 29.05 | 28.43 |
| 2013-14 | 11.50 | 9.81 | 9.22 |
| **उत्‍तर प्रदेश** | 2004-05 | 47.10 | 47.98 | 45.11 |
| 2005-06 | 52.00 | 50.36 | 45.95 |
| 2006-07 | 50.00 | 53.50 | 51.83 |
| 2007-08 | 55.00 | 54.37 | 52.72 |
| 2008-09 | 55.00 | 55.74 | 54.83 |
| 2009-10 | 55.00 | 53.64 | 53.08 |
| 2010-11 | 57.60 | 55.08 | 54.51 |
| 2011-12 | 58.00 | 58.59 | 57.52 |
| 2012-13 | 60.00 | 63.31 | 62.56 |
| 2013-14 | 19.00 | 18.38 | 16.54 |
| **उत्‍तराखंड** | 2004-05 | 1.81 | 1.67 | 1.58 |
| 2005-06 | 1.77 | 2.01 | 1.75 |
| 2006-07 | 1.65 | 2.17 | 2.10 |
| 2007-08 | 2.30 | 2.42 | 2.31 |
| 2008-09 | 2.30 | 2.22 | 2.20 |
| 2009-10 | 2.15 | 2.33 | 2.33 |
| 2010-11 | 2.20 | 2.24 | 2.23 |
| 2011-12 | 2.40 | 2.49 | 2.47 |
| 2012-13 | 2.45 | 2.51 | 2.45 |
| 2013-14 | 1.05 | 1.11 | 1.11 |
| **जम्‍मू और कश्‍मीर** | 2004-05 | 1.20 | 1.02 | 0.94 |
| 2005-06 | 1.20 | 1.30 | 1.11 |
| 2006-07 | 1.42 | 1.15 | 1.05 |
| 2007-08 | 1.40 | 1.19 | 1.15 |
| 2008-09 | 1.35 | 1.28 | 1.26 |
| 2009-10 | 1.40 | 1.22 | 1.22 |
| 2010-11 | 1.50 | 1.28 | 1.27 |
| 2011-12 | 1.45 | 1.20 | 1.19 |
| 2012-13 | 1.46 | 1.50 | 1.44 |
| 2013-14 | 0.55 | 0.49 | 0.44 |
| **बिहार** | 2004-05 | 14.30 | 13.43 | 12.79 |
| 2005-06 | 14.30 | 14.24 | 13.83 |
| 2006-07 | 17.50 | 16.32 | 16.01 |
| 2007-08 | 20.00 | 19.40 | 18.56 |
| 2008-09 | 21.25 | 18.33 | 17.96 |
| 2009-10 | 19.00 | 17.04 | 17.03 |
| 2010-11 | 19.50 | 16.96 | 16.94 |
| 2011-12 | 20.75 | 18.11 | 18.06 |
| 2012-13 | 21.50 | 21.10 | 21.01 |
| 2013-14 | 5.70 | 5.29 | 5.07 |
| **झारखंड** | 2004-05 | 1.58 | 1.70 | 1.63 |
| 2005-06 | 1.75 | 1.56 | 1.51 |
| 2006-07 | 1.74 | 1.63 | 1.60 |
| 2007-08 | 2.10 | 1.67 | 1.58 |
| 2008-09 | 2.00 | 1.57 | 1.54 |
| 2009-10 | 2.05 | 1.50 | 1.50 |
| 2010-11 | 2.10 | 1.36 | 1.35 |
| 2011-12 | 2.60 | 2.19 | 2.16 |
| 2012-13 | 2.70 | 1.98 | 1.98 |
| 2013-14 | 1.15 | 0.72 | 0.69 |
| **उड़ीसा** | 2004-05 | 4.30 | 3.75 | 3.60 |
| 2005-06 | 4.75 | 4.31 | 1.09 |
| 2006-07 | 4.70 | 4.44 | 4.21 |
| 2007-08 | 5.50 | 5.19 | 4.58 |
| 2008-09 | 5.50 | 4.74 | 4.60 |
| 2009-10 | 5.75 | 4.61 | 4.59 |
| 2010-11 | 5.75 | 4.74 | 4.57 |
| 2011-12 | 6.40 | 5.28 | 5.10 |
| 2012-13 | 6.50 | 5.41 | 5.26 |
| 2013-14 | 2.10 | 1.75 | 1.70 |
| **पश्चिम बंगाल** | 2004-05 | 11.50 | 11.13 | 10.83 |
| 2005-06 | 11.90 | 10.97 | 10.41 |
| 2006-07 | 12.00 | 12.28 | 11.94 |
| 2007-08 | 12.95 | 12.45 | 11.56 |
| 2008-09 | 13.00 | 11.94 | 11.67 |
| 2009-10 | 13.00 | 11.71 | 11.71 |
| 2010-11 | 13.00 | 11.26 | 11.26 |
| 2011-12 | 13.25 | 12.76 | 12.74 |
| 2012-13 | 13.50 | 14.02 | 13.87 |
| 2013-14 | 3.02 | 3.03 | 2.57 |
| **असम** | 2004-05 | 2.67 | 2.39 | 2.33 |
| 2005-06 | 1.95 | 1.95 | 1.76 |
| 2006-07 | 3.08 | 2.67 | 2.47 |
| 2007-08 | 2.30 | 1.99 | 1.93 |
| 2008-09 | 2.40 | 2.30 | 2.30 |
| 2009-10 | 2.60 | 2.56 | 2.56 |
| 2010-11 | 2.60 | 2.50 | 2.50 |
| 2011-12 | 3.00 | 2.68 | 2.68 |
| 2012-13 | 3.15 | 2.62 | 2.62 |
| 2013-14 | 0.96 | 0.86 | 0.76 |
| **अखिल भारत** | 2004-05 | 214.08 | 214.90 | 205.49 |
| 2005-06 | 234.25 | 235.65 | 221.91 |
| 2006-07 | 249.55 | 254.79 | 244.52 |
| 2007-08 | 271.70 | 274.26 | 261.71 |
| 2008-09 | 281.34 | 270.88 | 266.51 |
| 2009-10 | 281.90 | 265.97 | 264.48 |
| 2010-11 | 290.79 | 284.62 | 282.23 |
| 2011-12 | 305.16 | 298.65 | 294.77 |
| 2012-13 | 315.44 | 307.25 | 301.58 |
| 2013-14 | 98.90 | 96.11 | 90.10 |

\*\*\*\*\*\*

भारत सरकाररसायन और उर्वरक मंत्रालय

उर्वरक विभाग

**राज्‍य सभा** अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 1128

जिसका उत्‍तर शुक्रवार, 16 अगस्‍त 2013/25 श्रावण, 1935 (शक) को दिया जाना है।

**उर्वरकों का आयात**

**1128. श्री तरुण विजय:**

क्‍या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार ने 2013 के दौरान किन-किन देशों के साथ फास्‍फोरस ओर पोटास युक्‍त उर्वरकों के आयात के लिए समझौतों पर हस्‍ताक्षर किया है; और

(ख) उक्‍त समझौतों पर हस्‍ताक्षर करने का क्‍या आधार है तथा आयात किस दर पर किया गया?

**उत्‍तर**

**रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार) तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्‍वयन मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार) (श्री श्रीकांत कुमार जेना)**

**(क) और (ख):** सरकार ने वर्ष 2013 के दौरान फॉस्‍फेटयुक्‍त और पोटाशयुक्‍त उर्वरकों के आयात के लिए किसी देश के साथ किसी संविदा पर हस्‍ताक्षर नहीं किए है।

\*\*\*\*\*\*\*\*

भारत सरकाररसायन और उर्वरक मंत्रालय

उर्वरक विभाग

**राज्‍य सभा** अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 1132

जिसका उत्‍तर शुक्रवार, 16 अगस्‍त 2013/25 श्रावण, 1935 (शक) को दिया जाना है।

**उर्वरकों की उत्‍पादन लागत पर प्राकृतिक गैस के मूल्‍य में वृद्धि का प्रभाव**

**1132. श्री एम. पी. अच्‍युतन:**

क्‍या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्‍या यह सच है कि प्राकृतिक गैस के मूल्‍यों में वृद्धि करने के सरकार के निर्णय से उर्वरकों की उत्‍पादन लागत में वृद्धि होगी;

(ख) यदि हां, तो कितनी; और

(ग) क्‍या उर्वरकों के इकाई मूल्‍य में वृद्धि को उपभोक्‍ताओं पर डाल दिया जाएगा अथवा इसको उर्वरक कंपनियों के लिए राजसहायता में वृद्धि करके सरकार द्वारा वहन किया जाएगा; तत्‍संबंधी ब्‍यौरा क्‍या है?

**उत्‍तर**

**रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार) तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्‍वयन मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार) (श्री श्रीकांत कुमार जेना)**

**(क) और (ख):** जी हां। गैस के मूल्‍य के रु. 1.00/एमएमबीटीयू तक बढ़ने से यूरिया के उत्‍पादन की अतिरिक्‍त लागत 24.893 रुपए/मी.टन तक बढ़ जाएगी।

**(ग):** सरकार द्वारा जब तक यूरिया की एमआरपी को नहीं बढा़या जाता है तब तक किसानों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वर्तमान में, सरकार यूरिया तथा फॉस्‍फेटयुक्‍त और पोटाशयुक्‍त (पीएंडके) उर्वरकों के 22 ग्रेडों पर राजसहायता उपलब्‍ध करा रही है। किसानो को यूरिया सरकार द्वारा नियत 5360/- रुपए प्रति मी.टन के अधिकतम खुदरा मूल्‍य (एमआरपी) पर बेचा जाता है।

 पीएंडके उर्वरकों के संबंध में सरकार 01.04.2010 से पोषक-तत्‍व आधारित राजसहायता (एनबीएस) नीति को कार्यान्वित कर रही है। इस नीति के अंतर्गत राजसहायता प्राप्‍त पीएंडके उर्वरकों को उनमें निहित पोषक-तत्‍वों के आधार पर राजसहायता की नियत राशि उपलब्‍ध कराई जाती है जिस पर निर्णय वार्षिक आधार पर किया जाता हैं।इस नीति के अंतर्गत एमआरपी उर्वरक कंपनियों द्वारा नियत की जाती है।

\*\*\*\*

भारत सरकाररसायन और उर्वरक मंत्रालय

उर्वरक विभाग

**राज्‍य सभा** अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 1134

जिसका उत्‍तर शुक्रवार, 16 अगस्‍त 2013/25 श्रावण, 1935 (शक) को दिया जाना है।

**उर्वरक एवं गैस परिसम्‍पत्तियां**

**1134. श्री बैष्‍णव परिडा:**

क्‍या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्‍या सरकार विदेश में उर्वरक एवं गैस संबंधी परिसम्‍पत्तियां खरीदने का विचार रखती है;

(ख) यदि हां, तो तत्‍संबंधी ब्‍यौरा क्‍या है;

(ग) क्‍या सरकार हमा‍री भविष्‍य की आवश्‍यकताओं को पूरा करने के लिए देश में उपर्युक्‍त परिसम्‍पत्तियों में वृद्धि करने का भी विचार रखती है;

(घ) यदि हां, तो तत्‍संबंधी ब्‍यौरा क्‍या है; और

(ड.) देश में ही ऐसी परिसम्‍पत्तियों का पर्याप्‍त विकास करने की क्‍या कार्य योजना है?

**उत्‍तर**

**रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार) तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्‍वयन मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार) (श्री श्रीकांत कुमार जेना)**

**(क) और (ख):** सरकार एन, पी एवं के उर्वरक के लिए कच्‍ची सामग्री की आवश्‍यकता को पूरा करने के लिए उर्वरक कंपनियों को संयुक्‍त उद्यम परियोजनाएं स्‍थापित करने की संभावनाओं को खोजने, विदेश में परिसम्‍पत्तियों का अर्जन करने और विदेशी कंपनियों के साथ दीर्घावधिक अनुबंध करने के लिए प्रोत्‍साहित करती है। भारतीय कंपनियों के पहले ही ओमान, सेनेगल मोरक्‍को, ट्यूनिशिया, जार्डन एवं नाइजीरिया में संयुक्‍त उद्यम हैं। घाना, टोगो, बेलारूस, कनाडा, रूस, यूक्रेन, ईरान, इराक, जार्डन और अल्‍जीरिया इत्‍यादि जैसे देशों के साथ उर्वरक क्षेत्र में सहयोग किया जा रहा है।

**(ग) से (ड.):** देश में कच्‍ची सामग्री की अनुपलब्‍धता के कारण भारत फास्‍फेटयुक्‍त (पी) एवं पोटाशयुक्‍त (के) उर्वरकों की आपूर्ति के लिए आयात पर पूरी तरह निर्भर है। भारत में केवल रॉक फास्‍फेट का थोड़ा सा भंडार है लेकिन वह सीमित मात्रा में और खराब गुणवत्‍ता का है जिसे केवल एसएसपी के उत्‍पादन के लिए उपयोग किया जा सकता है। तथापि, घरेलू गैस, आयातित एलएनजी एवं नेफ्था के उपयोग द्वारा उत्‍पादित यूरिया के जरिए आत्‍म निर्भरता को प्राप्‍त किया जा सकता है। सरकार ने नए निवेश को आमंत्रित करने एवं आयात पर देश की निर्भरता को घटाने के लिए यूरिया क्षेत्र हेतु नई निवेश नीति (एनआईपी)-2012 घोषित की है। इसके जवाब में 14 कंपनियों (पीएसयू समेत) ने देश में ग्रीनफील्‍ड/ब्राऊनफील्‍ड यूरिया परियोजनाओं की स्‍थापना में रुचि दिखाई है। परन्‍तु, देश में इन प्रस्‍तावित यूरिया परियोजनाओं के लिए पर्याप्‍त घरेलू गैस की उपलब्‍धता एक बाधक कारक है।

\*\*\*\*\*

भारत सरकाररसायन और उर्वरक मंत्रालय

उर्वरक विभाग

**राज्‍य सभा** अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 1135

जिसका उत्‍तर शुक्रवार, 16 अगस्‍त 2013/25 श्रावण, 1935 (शक) को दिया जाना है।

**उर्वरकों का आयात**

**1135. श्री नरेश गुजराल:**

क्‍या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2011-12 और 2012-13 के दौरान उर्वरकों के आयात पर कुल कितने डालर राशि खर्च की गई; और

(ख) इस तथ्‍य के मद्देनज़र कि विगत अट्ठारह महीनों के दौरान रुपए का तेजी से अवमूल्‍यन हुआ है, इसका देश में खुदरा बाजार में उर्वरकों के मूल्‍यों पर क्‍या प्रभाव पड़ेगा?

**उत्‍तर**

**रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार) तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्‍वयन मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार) (श्री श्रीकांत कुमार जेना)**

**(क):** वर्ष 2011-12 और 2012-13 के दौरान यूरिया और पीएंडके उर्वरकों के आयात पर डॉलर में खर्च की गई कुल राशि को दर्शाने वाला विवरण **अनुलग्‍नक-।** में दर्शाया गया है।

**(ख):** पिछले अठारह महीनों के दौरान डॉलर की तुलना में रुपए का तेजी से अवमूल्‍यन होने के बावजूद आयातित यूरिया के मूल्‍य का किसानों पर प्रभाव नहीं पड़ा क्‍योंकि यह एक नियंत्रित मद है और इसका मूल्‍य सरकार द्वारा सांविधिक रूप से नियत किया जाता है।

 फास्‍फेटयुक्‍त और पोटाशयुक्‍त (पीएंडके) उर्वरकों के लिए, सरकार 1.4.2010 से पोषक तत्‍व आधारित राजसहायता (एनबीएस) नीति का कार्यान्‍वयन कर रही है जिसके अंतर्गत राजसहायताप्राप्‍त पीएंडके उर्वरकों के प्रत्‍येक ग्रेड पर उनमें निहित पोषक तत्‍व के आधार पर राजसहायता की एक निश्चित राशि उपलब्‍ध कराई जाती है, जिसका निर्णय वार्षिक आधार पर लिया जाता है। इस नीति के अंतर्गत उर्वरक कंपनियों को पीएंडके उर्वरकों की एमआरपी युक्तिसंगत स्‍तर पर नियत करने की अनुमति दी गई है।

 देश तैयार उत्‍पादों अथवा इनकी कच्‍ची सामग्री के लिए पोटाश क्षेत्र में संपूर्ण रूप से और फास्‍फेट क्षेत्र में 90% की सीमा तक आयात पर निर्भर हैं। राजसहायता नियत होने के कारण, अंतरराष्‍ट्रीय मूल्‍यों में किसी प्रकार के उतार-चढ़ाव और अमेरिकी डॉलर की तुलना में भारतीय रुपए के अवमूल्‍यन का पीएंडके उर्वरकों के घरेलू मूल्‍यों पर प्रभाव पड़ता है।

\*\*\*\*\*\*

-2-

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **अनुलग्‍नक-।** |
| **वर्ष 2011-12 और 2012-13 के दौरान उर्वरकों के आयात पर राजसहायता की कुल राशि को दर्शाने वाला विवरण** |
|  | **2011-12** | **2012-13** |
| **विवरण** | **व्‍यय (करोड़ रुपए में)** | **अमेरिकी डॉलर (मिलियन) \* में** | **व्‍यय (करोड़ रुपए में)** | **अमेरिकी डॉलर (मिलियन) \*\* में** |
| आयातित यूरिया | 17,475.00 | 3,499.20 | 20,016.00 | 3,676.70 |
|   |  |  |  |  |
| आयातित पीएण्‍डके | 16,571.92 | 3,318.40 | 14,576.10 | 2,677.50 |
|  |  |  |  |  |
| \*अमेरिकी डॉलर में परिवर्तन @49.94 रुपए प्रति अमेरिकी डॉलर की दर से किया गया है। |  |
|  |  |  |  |  |
| \*\* अमेरिकी डॉलर में परिवर्तन @54.44 रुपए प्रति अमेरिकी डॉलर की दर से किया गया है। |  |

भारत सरकाररसायन और उर्वरक मंत्रालय

उर्वरक विभाग

**राज्‍य सभा** अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 1136

जिसका उत्‍तर शुक्रवार, 16 अगस्‍त 2013/25 श्रावण, 1935 (शक) को दिया जाना है।

**उर्वरकों की मांग और खपत**

**1136. श्री के. एन. बालगोपाल:**

क्‍या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्‍या पिछले पांच वर्षों के दौरान देश में उर्वरकों की मांग और खपत में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्‍संबंधी ब्‍यौरा क्‍या है;

(ग) क्‍या इसके कारणों का अध्‍ययन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्‍संबंधी ब्‍यौरा क्‍या है?

**उत्‍तर**

**रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार) तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्‍वयन मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार) (श्री श्रीकांत कुमार जेना)**

**(क) और (ख):** जी हां। पिछले पांच वार्षों से मांग और तदनुरूपी अन्‍तर्ग्रहण (बिक्री) बढ़ रहा है। पिछले पांच वर्षों के दौरान पीएंडके उर्वरकों को छोड़कर देश में उर्वरकों की मांग और अन्‍तर्ग्रहण (बिक्री) दर्शाने वाला एक विवरण **अनुलग्‍नक** में दिया गया है।

**(ग) और (घ):** भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् (आइसीएआर) द्वारा अपलब्‍ध कराई गई सूचना के अनुसार उर्वरक अनुप्रयोग/उपयोग में कमी/वृद्धि, मृदा के प्रकार और इसकी उर्वरता स्‍थिति, उगाई गई फसलों के प्रकार तथा इसकी पोषक-तत्‍व आवश्‍यकता, उर्वरक अनुप्रयोग की विधि और प्रणाली, सिंचाई सुविधाएं, वर्षा, उर्वरक सामग्री की समय पर उपलब्‍धता, उर्वरक मूल्‍य और किसान के सामर्थ्‍य आदि पर निर्भर करती है।

\*\*\*\*\*\*